

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्र./01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/522

भोपाल,दिनांक 5/04/2018

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।

विषय :- प्री.पी.जी.प्रवेश परीक्षा वर्ष 2018 सेवारत अभ्यर्थियों को अधिभार अंक प्रदाय करने संबंधी।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक क्र./01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/67 दिनांक 12.01.2018।

—000—

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र द्वारा प्री.पी.जी.प्रवेश परीक्षा वर्ष 2018 सेवारत अभ्यर्थियों को अधिभार अंक प्रदाय करने संबंधी प्रपत्र-8ए पर 28.02.2018 तक चिकित्सकों की सेवा अवधि का विवरण प्राप्त किया गया है। विषय में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 6352/2018 डॉ.मयंक प्यासी एवं अन्य दो में दिनांक 04.04.2018 को निर्देश पारित कर सेवा अवधि की गणना 28 फरवरी 2018 के स्थान पर 31 मार्च 2018 नियत किया गया है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा जिन चिकित्सकों के प्रपत्र-8ए में दी गई जानकारी में 31 मार्च 2018 की स्थिति में यथा चिकित्सक द्वारा अनुपस्थिति सेवा से त्याग पत्र आदि की स्थिति होने पर आज ही ई-मेल gazatted@gmail.com के माध्यम आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।

4/4/18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0 क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

भोपाल,दिनांक /04/2018

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. निज-सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।

11
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश